राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 64/2020

1. दाताराम पुत्र सांवल राम
2. बाबूलाल खटाणा पुत्र सांवल राम
3. महावीर पुत्र सांवल राम
4. रामपाल पुत्र सांवल राम
5. रेवती देवी पुत्री सांवल राम
6. भूरी देवी पत्नी सांवल राम

जाति गुर्जर निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय   दिनांक 22–02–2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 118 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवरमल के स्थान पर सांवल राम दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 118 ग्राम टीलावाली पेश की गई तथा गवाह अशोक कुमार पुत्र रोहिताश जाति गुर्जर निवासी बसन्त बिहार व कैलाश पुत्र गुरूदयाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 4 खरकड़ा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 118 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवरमल के स्थान पर सांवल राम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 118 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवरमल के स्थान पर सांवल राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner